तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.05.25	आज यह पत्रावली पेश हुई बमुलाहिजा पक्षकारान उपस्थित उन्हें सुना गया पत्रावली व इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अध्ययन किया गया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। तो पाया कि उक्त आराजीयात का बाहो मौके एवं बाकायदा विभाजन नहीं हुआ है खातेदारान का पृथक हिस्से पर कब्जा माना जाना वाजिब है ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमाबाजी नहीं बढ़े व कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए प्रा०पत्र स्वीकार कर प्रति वादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि आ० खसरा नं. 1798/2454 0.0600, 1867/0.63, 1873/0.16, 1703/0.01, 1704/0.01, 1742/0.01, 1743/0.96, 1765/0.45, 1798/0.44, 1853/1.54, 1854/0.10, 1855/1.45, 2025/2.06, 761/0.13, 672/0.31, 673/0.13, 674/0.40, 675/0.64, 619/0.17 बाद तकसीम मुताबिक प्रथम तह० मुताबिक (आदेश) की रिकार्ड एवं मौके की ता फैसला मूलवाद बनाये रखें। पत्रावली फैसला हुक्म होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
	राधेश्याम मीणा उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड [illegible] [illegible]